

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 37/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00037)

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरु।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।
रेस्पोडेंट
2. सागरराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरु।

तरतीबी रेस्पोडेंट

उपस्थित: 1. श्री प्रहलाद जाखड - अभिभाषक अपीलान्त
2. श्री मोहम्मद इस्तियाज अली - राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 28.02.2022

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरु के निर्णय दिनांक 10.12.2015 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त ने नायब तहसीलदार तारानगर के आदेश दिनांक 11.08.2015 के विरुद्ध जिला कलक्टर चूरु में अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर जिला कलक्टर चूरु द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.12.2015 द्वारा अपीलान्त की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, कैम्प चूरु में प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 के आदेश / 1 (17) राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 की पालना में भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर



4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो एवं लिखित बहस पर अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि भूखण्ड जैर अपील गांव बनियाला की आबादी भूमि में स्थित है जिसके दो पट्टे निराणाराम पुत्र मोटाराम व मोटाराम पुत्र हुम्माराम के नाम के दिनांक 28.01.1986 के बने हुए है। इन पट्टो से पूर्व ही मोटाराम के परिवार जन रिहायश करते आ रहे है। दोनो पट्टे शुदा भूखण्ड पारिवारिक बँटवारा मे अपीलान्ट के हिस्से पान्ती मे आया हुआ है, जिसमें अपीलान्ट सपरिवार निवास करता आ रहा है। विवादित भूखण्ड पर चार पक्के पुख्ता मकानात दो छप्परे, शोचालय व स्नान घर बने हुए है, चारो और पक्की चार दीवारी बनी हुई है। विवादित भूमि पर वर्षो पुराने बड़े-बड़े पेड़ खड़े है। सन् 2011 से विधुत कनेक्शन किया हुआ है। इसी भूखण्ड पर विधुत कनेक्शन लेते समय वर्तमान सरपंच जो उस समय भी सरपंच था स्वयं ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। तहसीलदार तारानगर द्वारा मेरे खिलाफ गोचर की भूमि का हवाला देकर धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की कार्यवाही कर मेरे को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा विस्तार से जवाब व लिखित साक्ष्य पेश किये गये। केवल राजनैतिक दृषता के वशीभूत होकर अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2015 एवं जिला कलक्टर चूरु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2015 को अपास्त फरमाया जावे।
5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार तारानगर के निर्णय दिनांक 11.08.2015 के विरुद्ध जिला कलक्टर चूरु के संमक्ष प्रस्तुत की गई अपील सं. 45/2015 के निर्णय दिनांक 10.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ

अति.संभागीय आयुक्त
हीकारे



न्यायालय नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा ग्राम बनियाला के खसरा नं. 284 की 31 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकिन गोचर भूमि में से 0.12 भूमि पर चारदीवारी एवं कमरे बनाकर अतिक्रमण करने के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तारानगर में जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख एवं विधुत बिल की प्रतिया प्रस्तुत की तथा प्रश्नगत भूमि को आबादी भूमि का भाग होना बताते हुए राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर कब्जे की वास्तविक लोकेशन तय करने के पश्चात तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की वैधानिकता के संदर्भ में जांच के उपरान्त निर्णय लिया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2015 एवं नायब तहसीलदार तारानगर का निर्णय दिनांक 11.08.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार तारानगर को प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाकर उभय पक्ष को सुनकर, पुनः निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।